POLITICAL SCIENCE Dep.
B.A. 2 (H) Paper 4

Dr. HUSNA ARA
Asst. Professor
Dr. L.K.V.D. College, Tajpur
Samastipur

न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत

न्यायिक पुनर्विलोकन न्यायपालिका की वह शक्ति है जिसके द्वारा वह विधायिका या कार्यपालिका के निर्णयों की जाँच कर सकती है कि वह संवैधानिक एवं विधि के अनुसार है या नहीं। अगर वह संवैधानिक नहीं होती तो न्यायपालिका उसे गैरसंवैधानिक घोषित कर सकती है। यह अधिकार अंतिम रूप से किसी देश के सर्वोच्च न्यायालय में निहित होता है।

प्रो॰ ~~एम~~॰ जे॰ अब्राहम ने न्यायिक पुनर्विलोकन को परिभाषित करते हुए लिखा है कि "यह न्यायालय की एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी कानून या सरकारी कार्य को असंवैधानिक घोषित कर सकती है और इसके प्रयोग को रोक सकती है तथा किसी भी सरकारी अधिकारी के अवैध कार्य को गैर कानूनी घोषित कर सकती है।"

अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक शक्ति सम्पन्न न्यायालय है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश मार्शल को न्यायिक पुनर्विलोकन सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। उन्होंने 1803 में मार्बरी बनाम मेडिसन वाद में इसकी स्पष्ट व्याख्या की।

Scanned with CamScanner